प्राथमिक डिग्री की मौका रिपोर्ट

आज दि० 07/01/2021 को श्रीमान सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), जायल के राजस्व वाद क्रमांक 175/2019 दि० 30/09/2020 व श्रीमान तहसीलदार, जायल के आदेश क्रमांक /भू.अ./ P.D./ 2020/3618 दि० 16/12/2020 व भू.अ. निरीक्षक भूणदरा के नोटिस क्रमांक 08 दि. 05/01/2021 की पालना में पटवार मण्डल भावला के मौजा-मूण्डी के ख.नं. 351, 321 व 366 की प्राथमिक डिग्री हेतु पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर भूमि विभाजन का बंटवारा प्रस्ताव मय मौके की स्थिति के अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया जो निम्न प्रकार है:-

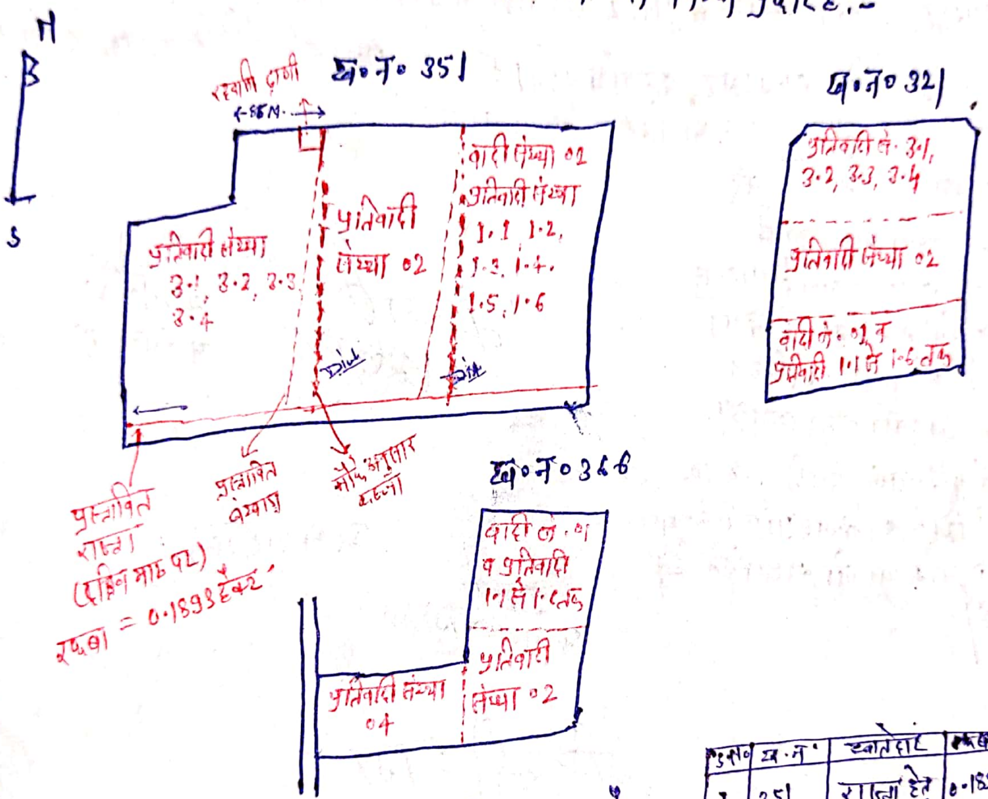

S.No.	ख.नं.	खातेदार	रकबा	लगान	दिशा
1	351	रास्ता हेतु	0.1893	—	दक्षिणी भाग पर

मौके पर भूमि विभाजन का बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

S.No.	ख.नम्बर	खातेदार	रकबा (हेक्टर)	लगान	दिशा
1.	351 321 366	भागूराम S/o चुतराराम (वादी नं.01) व प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.6 तक	3.6923 हेक्टर 1.3678 0.9578	11.40 5.91 2.96	351 का पूर्वी भाग 321 का दक्षिणी भाग 366 में उत्तरी
2.	351, 321, 366	मोहनराम S/o रामसुख जाति जाट (प्रतिवादी नं.02)	3.6923 1.3678 0.9578	11.40 5.91 2.96	351 का मध्य 321 का मध्य 366 का मध्य
3.	351, 321	प्रतिवादी संख्या 3.1 से 3.4 तक	3.6923 1.3678	11.40 5.91	351 का पश्चिमी 321 का उत्तरी
4.	366	बादुदेवी W/o जेठाराम जाति जाट (प्रतिवादी नं.04)	0.9577	2.96	366 का पश्चिमी (दक्षिणी साइड पर)

P.T.O.

Scanned with CamScanner

366 का उत्तरी हिस्सा रकबा
ख॰न॰ 351 का पूर्वी हिस्सा, 321 का दक्षिणी हिस्सा व
6.0179 हैक्ट॰ में वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.6 तक व ख॰न॰ 351 का
मध्य भाग, 321 का मध्य भाग व 366 का मध्य भाग रकबा 6.0179 हैक्ट॰ में प्रतिवादी
संख्या 02 तथा ख॰न॰ 351 का पश्चिमी भाग, ख॰न॰ 321 का उत्तरी भाग
रकबा 5.0601 हैक्ट॰ में प्रतिवादी संख्या 3.1 से 3.4 तक तथा ख॰न॰ 366 में
पश्चिमी भाग (ढाणी रास्ता पर) रकबा 0.9577 हैक्ट॰ में प्रतिवादी संख्या 04 का कब्जा है।
तथा रास्ता सम्बन्धी मौके पर विवाद है खातेदार आपसी विवाद कर रहे हैं।

उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पढ़कर सुनाया व उपस्थित खातेदार के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर ढाणी बनी होने के कारण ढाणी की यथा स्थिति रखते हुए रकबे के अनुसार मौके को निरक्षण किया गया।

श्रीमानजी ख॰न॰ 351 में मौके पर 5 बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 3.1 से 3.4 तक के पास ज्यादा कब्जा है परन्तु सहखातेदार इसमें राजी नहीं है तथा उक्त 5 बीघा में प्रतिवादी सं॰ 3.1 से 3.4 वालों की रहवासी ढाणी बना रखी है। ख॰न॰ 366 में प्रतिवादी सं॰ 3.1 से 3.4 तक ने अपना संपूर्ण हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में किया गया जो रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है।

कैलाश
[signature]
07-01-2021

[signature]
07/01/2021
पटवारी

अमराराम

अनिलनागुराम

नरसीराम

निम्बाराम 9783568587

देवाराम

सगाराम
9772821342

मौके पर उपस्थित बाबूदीन ले कर उसका पाति उपस्थित किया है॰ कि॰

जेठाराम
9982512437

[signature]

[signature]
1/02/2021
N.C. Jayal

[signature]
10/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 175/2019

वादी –

1. भागुराम पुत्र चुतराराम
   जाति–जाट, निवासी– मुण्डी तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. चुतराराम पुत्र रामसुख जाति–जाट, निवासी मुण्डी फौत के कायम मुकाम
   - 1.1 – अमराराम पुत्र चुतराराम
   - 1.2 – मीतूदेवी पुत्री चुतराराम पत्नि गिरधारीराम जाति जाट निवासी–मुण्डी
   - 1.3 – चुकादेवी पुत्री चुतराराम पत्नि जगदेवराम जाति जाट, निवासी–मुण्डी
   - 1.4 – कमली पुत्री चुतराराम पत्नि भंवराराम, जाति जाट, निवासी–मुण्डी
   - 1.5 – राजूदेवी पुत्री चुतराराम पत्नि प्रहलादराम जाति जाट, निवासी–मुण्डी
   - 1.6 – छोटूदेवी पुत्री चुतराराम पत्नि लालाराम जाति जाट निवासी– बालाजीनगर फौत की कायम मुकाम
   - 1.6.1 –संजू पुत्री लालाराम जाट नि. बालाजीनगर
2. मोहनाराम पुत्र रामसुख, जाति जाट निवासी मुण्डी फौत के कायम मुकाम
   - 2.1 – नरसीराम दतक पुत्र मोहनराम जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल
3. हरदीनराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी–मुण्डी फौत के कायम मुकाम
   - 3.1 – माडूदेवी पत्नि हरदीनराम जाति जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल
   - 3.2 – सगराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल
   - 3.3 – निम्बाराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल
   - 3.4 – देवाराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट, निवासी मुण्डी तहसील जायल
4. बाऊदेवी पत्नि जेठाराम जाति–जाट निवासी मुण्डी
5. तहसीलदार जायल

वाद वास्ते विभाजन खेताय अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5, 2/1, 3/1 से 3/4, 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 1/6/1 की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा
प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

10/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक :–

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 भाईयो चुतराराम, मोहनराम व हरदीन के उतराधिकारी है जिनमें वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6/1 तक चतराराम क उतराधिकारी है, 2/1 मोहनराम के उतराधिकारी है तथा 3/1 से 3/4 तक हरदीनराम के उतराधिकारी है इन तीनों भाईयो के पुश्तेनी बढेर के खेताय ग्राम मुण्डी तहसील जायल में खसरा नं. 366, 351 व 321 के रूप में स्थित है। खसरा नं. 366 की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 ने अपना 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 बाउदेवी को बैचान कर दी है। इस कारण जमाबंदी में उसका नाम खातेदारी दर्ज होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। इस प्रकार इस खेत में प्रतिवादीगण संख्या 3/1 से 3/4 का कोई हिस्सा नहीं है शेष खेताय में खसरा नं 351 व 321 में उपर बताई वंशावली के अनुसार 1/3–1/3 हिस्सा निहीत है। पक्षकारानों ने इन खेतो का अभी तक अन्तिम रूप से विभाजन नहीं किया गया है लेकिन घरेलू तौर पर कास्त सुविधा से अलग अलग कर लेते है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र बाबत् विभाजन प्रस्तुत किया है। इसलिए वादी अपना हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के अलग करना चाहता है। अतः वाद को वाद के पैरा संख्या 5 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 एवं 2/1, 3/1 से 3/4, तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के सम्मन बावजूद तामील के प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1.6.1 की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने वकालात नामा पेश किया तथा जवाब दावा पेश नही करने बाबत् निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 5 प्रकरण में परफोर्मा पक्षकार होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1/6/1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह भागुराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम मुण्डी तहसील जायल संवत् 2073–2076 खाता संख्या 53/52 प्रदर्श–1 खाता संख्या 84/52 प्रदर्श–2, खाता संख्या 429/332 प्रदर्श–3 की पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रकरण हाजा में वकील प्रतिवादी संख्या 1/6/1 की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने जवाब दावा पेश नहीं किया तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं तथा प्रकरण में सीधे बहस हेतु निवेदन किया। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकुलाय की बहस सुने जाने के उपरान्त में वादग्रस्त खेताय में खसरा नं. 398 रकबा 8.1746 हैक्ट0 भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के मध्य हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री के आदेश दिनांक 03.12.2020 को पारित किये गये।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 03.12.2020 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 10.02.2021 के प्राप्त हुआ, जिसपर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को सूचित किया जाकर तैयार किया गया है, मौके पर पक्षकारान् में से वादी भागुराम, प्रतिवादी अमराराम, नरसीराम, सगराम, निम्बाराम, देवाराम, माडूदेवी उपस्थित हुये जिसकी पुष्टि बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पक्षकारान से होती है। अतः तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/580 दिनांक 02.02.2021 के न्यायालय हाजा में दिनांक 10.02.2021 को प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 10.02.2021 अनुसार नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाकर प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है —

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.)	लगान
1	वादी—भागुराम पुत्र चुतराराम प्रतिवादीगण 1.1 से 1.6 अमराराम, मीतूदेवी, चुकादेवी, कमली, राजूदेवी, छोटूदेवी	351 321 366	3.6923 (पूर्वी भाग) 1.3678 (दक्षिण भाग) 0.9578 (उतरी भाग)	11.40 5.91 2.96
2	प्रतिवादी नं. 2 मोहनराम पुत्र रामसुख जाति—जाट	351 321 366	3.6923 (मध्य भाग) 1.3678 (मध्य भाग) 0.9578 (मध्य भाग)	11.40 5.91 2.96
3	प्रतिवादी सं. 3.1 से 3.4 माडूदेवी, सगराम, निम्बाराम, देवाराम	351 321	3.6923 (पश्चिमी भाग) 1.3678 (उतरी भाग)	11.40 5.91
4	प्रतिवादी नं. 4 बाउदेवी पत्नी जेठाराम	366	0.9577 (पश्चिमी भाग कटाणी रास्ते पर	2.96
5	रास्ता हेतु	351	0.1893 हैक्टेयर (दक्षिणी माठ पर	—

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 175/2019
भागुराम बनाम चुतराराम वगैरह

अतः ग्राम मुण्डी तहसील जायल के मुतदाविया खेताय की खसरा नं. 351, 321 व 366 की भूमि उपरोक्तुसार पक्षकारान के हक बंट एवं खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, नागौर

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 175/2019

वादी –

1. भागुराम पुत्र चुतराराम
   जाति–जाट, निवासी– मुण्डी तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. चुतराराम पुत्र रामसुख जाति–जाट, निवासी मुण्डी फौत के कायम मुकाम –
   1.1 – अमराराम पुत्र चुतराराम
   1.2 – मीतूदेवी पुत्री चुतराराम पत्नि गिरधारीराम जाति जाट निवासी–मुण्डी
   1.3 – चुकादेवी पुत्री चुतराराम पत्नि जगदेवराम जाति जाट, निवासी–मुण्डी
   1.4 – कमली पुत्री चुतराराम पत्नि भंवरराराम, जाति जाट, निवासी–मुण्डी
   1.5 – राजूदेवी पुत्री चुतराराम पत्नि प्रहलादराम जाति जाट, निवासी–मुण्डी
   1.6 – छोटूदेवी पुत्री चुतराराम पत्नि लालाराम जाति जाट निवासी–बालाजीनगर फौत की कायम मुकाम
   1.6.1 – संजू पुत्री लालाराम जाट नि. बालाजीनगर
2. मोहनाराम पुत्र रामसुख, जाति जाट निवासी मुण्डी फौत के कायम मुकाम
   2.1 – नरसीराम दतक पुत्र मोहनराम जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल
3. हरदीनराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी–मुण्डी फौत के कायम मुकाम
   3.1 – माडूदेवी पत्नि हरदीनराम जाति जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल
   3.2 – सगराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल
   3.3 – निम्बाराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल
   3.4 – देवाराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट, निवासी मुण्डी तहसील जायल
4. बाऊदेवी पत्नि जेठाराम जाति–जाट निवासी मुण्डी
5. तहसीलदार जायल

वाद वास्ते विभाजन खेताय अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5, 2/1, 3/1 से 3/4, 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 1/6/1 की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा
प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

10/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 175/2019
भागुराम बनाम चुतराराम वगैरह

— : : आदेश : : —

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1/1/1 हाजरी मुन्नीलाल कड़वासरा प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि —

वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव एवं नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार हक, बंट एवं खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.)	लगान
1	वादी—भागुराम पुत्र चुतराराम प्रतिवादीगण 1.1 से 1.6 अमराराम, मीतूदेवी, चुकादेवी, कमली, राजूदेवी, छोटूदेवी	351 321 366	3.6923 (पूर्वी भाग) 1.3678 (दक्षिण भाग) 0.9578 (उतरी भाग)	11.40 5.91 2.96
2	प्रतिवादी नं. 2 मोहनराम पुत्र रामसुख जाति—जाट	351 321 366	3.6923 (मध्य भाग) 1.3678 (मध्य भाग) 0.9578 (मध्य भाग)	11.40 5.91 2.96
3	प्रतिवादी सं. 3.1 से 3.4 माडूदेवी, सगराम, निम्बाराम, देवाराम	351 321	3.6923 (पश्चिमी भाग) 1.3678 (उतरी भाग)	11.40 5.91
4	प्रतिवादी नं. 4 बाउदेवी पत्नी जेठाराम	366	0.9577 (पश्चिमी भाग कटाणी रास्ते पर	2.96
5	रास्ता हेतु	351	0.1893 हैक्टेयर (दक्षिणी माठ पर	—

नोट — तहसीलदार जायल से दिनांक 10.02.2021 को प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

10/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 175/2019
भागुराम बनाम चुतराराम वगैरह

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

10/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल
(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner